रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

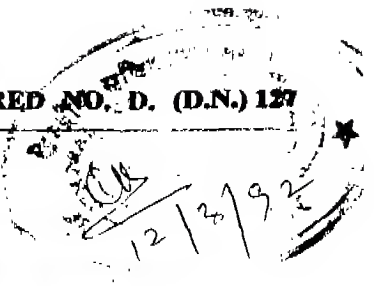

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 1991/कार्तिक 17, 1913

No. 254] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 1991/KARTIKA 17, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 242—आई टी सी (पी एन)/90—93

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1991

विषय :—आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1990—मार्च, 1993

फा. सं. 3/130/91—ई पी सी :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1—आई टी सी (पी एन)/90—93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अंतर्गत प्रकाशित यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1990—मार्च, 1993 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति, 1990—93 (खण्ड—1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	67	अध्याय—18 पैरा 217	पैरा 217 की तीसरी पंक्ति में "निर्यातकों" शब्द के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "(उन व्यापारिक कम्पनियों सहित जो मुख्य रूप से निर्यात कार्यकलापों में लगी हों और 51% तक विदेशी इक्विटी होल्डिंग रखती हों)।"
2	67	अध्याय—18 भाग—क पैरा 218	(1) पैरा 218(1) की छठी पंक्ति में "अवधि" शब्द के बाद आने वाले चिह्न "." को हटा दिया जायेगा।

1	2	3	4
			और उसके बाद निम्न-लिखित को जोड़ा जा जायेगा :— "अथवा तुरन्त पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में, जैसा कि नीचे उप-पैरा (2) (क) में विकल्प दिया गया है।
			(2) पैरा 218 के उप-पैरा (2)(क) की तीसरी पंक्ति में आने वाले अंक "4" और चौथी पंक्ति में आने वाले अंक "20" के स्थान पर क्रमशः "6" और "30" अंकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
			(3) पैरा 218 के उप पैरा (2) (क) के अंत में दर्शाए गए चिह्न " ; " को चिह्न " . " द्वारा प्रति स्थापित किया जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "बिकल्प के रूप में निर्यात गृह के मामले में तत्काल पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन 12 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए और व्यापार गृहों के मामले में 60 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए;"
			(4) पैरा 218 के उप-पैरा (2) (क) के नीचे टिप्पण—1 की पंक्ति 10 में शब्द "वर्ष" के बाद दर्शाए गए चिह्न " . " को हटा दिया जाएगा और उसके बाद निम्न-लिखित को जोड़ा जाएगा :— "अथवा तत्काल पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष, जैसा भी मामला हो।"
			(5) पैरा 218 के उप पैरा (2)(क) के नीचे टिप्पण : 2 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "तथापि उपर्युक्त उन आवेदकों को उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध नहीं होगी जो उपर्युक्त पैरा (2)(क) के अनुसार तत्काल पूर्व-वर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में निष्पादन के आधार पर पात्रता के लिए विकल्प देने के इच्छुक हैं।"
			(6) उप पैरा (2)(ख) के अंत में दर्शाए गए चिह्न, " ; " को चिह्न " . " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "तथापि, यह शर्त उन आवेदकों पर लागू नहीं होगी जो उपर्युक्त उप पैरा (2) (क) के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में निष्पादन के आधार पर पात्रता के लिए विकल्प देने के इच्छुक हैं;"
3.	71	अध्याय—18 भाग—ख पैरा 225	"पैरा 225 की पंक्ति तीन और चार में दर्शाए गए शब्दों "निर्यातकों" के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "(उन व्यापारिक कम्पनियों सहित जो मुख्यतः निर्यात कार्यकलापों में लगी हों और 51% तक विदेशी इक्विटी होल्डिंगस रखती हों)।"
4.	71	अध्याय—18 भाग—ख पैरा 226	(1) पैरा 226 की पंक्ति 6 में दर्शाए गए अंक "75" को अंक "125" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
			(2) पैरा 226 की पंक्ति 6 में दर्शाए गए शब्द और चिह्न "करोड़ों" के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— (2) "विकल्प के रूप में तत्काल पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन 150 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए।"

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में जारी किए गए हैं।

ह./-

डी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात